

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.
DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, MADHYAPRADESH
गौतम नगर, भोपाल - 462021

कमांक/बजट(ए)18/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/302
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01/10/2018

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकास खण्ड जबलपुर
जिला जबलपुर म.प्र.।

विषय : चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 3930-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

—00—

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 3930-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड कमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 001 निदेशन और प्रशासन 3930 विकासखंड स्तर कार्यालय की स्थापना- मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए 11 वेतन, भत्ते 8888 - V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	श्रीमती सोना बाई चौधरी, लेखापाल, कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जबलपुर।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड जबलपुर 1802003068	54,547/-
(अक्षरी राशि चौवन हजार पाँच सौ सैंतालिस मात्र)			54,547/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

- मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
- म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
- राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
- आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
- मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है, कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31

/

/

मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके ।
"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक : 1-09-2018

पृष्ठा.क्रमांक/बजट (ए)18/चि.व्य.प्रति./2018-19/303
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी- जबलपुर म.प्र. ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर म.प्र. ।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. ।
5. श्रीमती सोना बाई चौधरी, लेखापाल, कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जबलपुर म.प्र. ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.